प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
सारंगढ़
जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)

विषयः– शासकीय उचित मूल्य दुकान मारोदरहा वि0ख0 के विक्रेता के द्वारा मनमानी पूर्वक संचालन करने स्टॉक रजिस्टर में अनियमितता के संबंध में तथा मृत व्यक्तियों के नाम से फर्जी राशन आहरण के संबंध में।

संदर्भः– 01.कलेक्टर जनदर्शन में खितिभूषण पटेल द्वारा प्रस्तुत शिकायत दिनांक 09.12.2025।
02. कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत प्रस्तुत शिकायत दिनांक 09.09.2025 द्वारा जयनारायण,नारायण, विद्याधर एवं खितीभूषण ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित शिकायत पत्रों के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान मरोदरहा के विक्रेता एवं उपसरपंच ग्रा.पं. मारोदरहा के दिनेश जायसवाल के द्वारा मृत व्यक्तियों के राशनकार्ड में फर्जी राशन आहरण, मनमानी पूर्वक दुकान संचालन, 10 दिसम्बर तक राशन वितरण प्रारंभ नहीं करने एवं उचित मूल्य दुकान के स्टॉक में अनियमितता करने के कारण स्टॉक रजिस्टर की जॉच किये जाने के संबंध में संदर्भित पत्रों के माध्यम से समय पर शिकायत किया गया जिस पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आश्रित ग्राम करीगांठी एवं मारोदरहा में उपस्थित होकर कमशः 13.12.2025 एवं 14.12.2025 को उपस्थित होकर जॉच किया गया। जॉच में पाए गए तथ्य निम्नानुसार हैः–

01. ग्राम पंचायत मारोदरहा वि0ख0 बरमकेला के शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्. 412004020 का संचालन शारदा महिला स्व सहायता समूह मारोदरहा के द्वारा विगत वर्ष 2005 से किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष सह संचालक श्रीमती गुलापी डनसेना, सचिव श्रीमती श्याम बाई डनसेना तथा विकेता दिनेश डनसेना (उप सरपंच ग्राम पंचायत मारोदरहा) है।

02. शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क. 412004020 का माह दिसम्बर 2025 का राशन वितरण दिनांक 10 दिसम्बर तक प्रारंभ नहीं किया जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत के संबंध में विक्रेता दिनेश जायसवाल से पूछताछ किया गया जिसमें उनके द्वारा लिखित कथन में मताया गया कि उनकी दादी (श्रीमती कियामती डनसेना) का देहांत दिनांक 05.12.2025 को हो जाने के कारण दुकान 10.12.2025 नहीं खोला गया एवं वितरण कार्य नहीं किया गया था। बाद में उक्त के संबंध में शिकायतकर्ताओं से शिकायत प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दूरभाष पर निर्देशित किये जाने उपरांत दुकान 11.12.2025 को खोला एवं वितरण प्रारंभ किया गया।

03. स्टॉक रजिस्टर में अनियमितता की जॉच कर कार्यवाही करने के संबंध ममें प्राप्त शिकायत हेतु शासकीय उचित मूल्य दुकान मारोदरहा का दुकान भवन सह गोदाम का दिनांक 14.12.2025 को भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में मारोदरहा के उचित मूल्य दुकान आईडी क्. 412004020 का खाद्य विभाग के सर्वर AEPDS के स्टॉक रजिस्टर अनुसार स्टॉक चावल 118.38 क्विं. (47030 कि.ग्रा.–35192 कि.ग्रा. = 11838 कि.ग्रा.) शक्कर 3.61 क्विं. (361 कि.ग्रा.) नमक 2.80 क्विं. (280 कि.ग्रा.) उपलब्ध होने योग्य मात्रा प्रदर्शित हो रहा है जिसके विरूद्ध दुकान भवन सह गोदाम में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर 170 बोरी में 85.00 क्विं. चावल, शक्कर 03 बोरी में 1.50 क्विं. एवं नमक 07 बोरी में 3.50 क्विं. उपलब्ध होना पाया गया । विक्रेता दिनेश जायसवाल के कथनानुसार दुकान भवन में उपलब्ध 28 राशनकार्डो में दिनांक 13.12.2024 को AEPDS का सर्वर नहीं चलने के कारण 9.07 क्विं. चावल को भौतिक रूप से कार्डधारियों को दे दिया गया है (मैनुअल वितरण) परन्तु उक्त स्टॉक ऑनलाईन स्टॉक से नहीं घटा है जिसे बाद में बायोट्रिक निशान लगाकर जारी किया जाएगा। इस प्रकार ऑनलाईन स्टॉक में 9.07 क्विं. का भी घटाने पर भौतिक सत्यापन में चावल 24.31 क्विं. कम (118.38–85.00–9.07) शक्कर 2.11 क्विं. कम एवं नमक 0.70 क्विं. अधिक पाया गया। उक्त कमी/अधिकता का कारण विक्रेता द्वारा माह

जुलाई 2024 में दुकान में चोरी हो जाना बताया गया जिसकी उनके द्वारा FIR नहीं कराया गया है एवं भरपाई धीरे–धीरे कर रहे है।

04. संदर्भित पत्र क्र. 03 में प्राप्त शिकायत जिसमें दिनेश डनसेना के द्वारा मृत व्यक्तियों के नाम फर्जी राशन आहरण एवं अनियमितताओं के संबंध में शिकायत किया गया है। जॉच हेतु शिकायत पत्र में दर्ज 05 राशनकार्ड क्र. 1. 223867410281 2. 223862021310 3. 223868621851 4. 223868455998 5. 223869564643 के संबंध में संबंधित कार्डधारियों के संबंध में संबंधित कार्डधारी के परिजनों, राशनकार्ड में दर्ज सदस्यों अदि के कथन अंकित किये गये जो कि निमनानुसार हैः–

(1) 223867410281 कार्डधारी लच्छी राम सिदार के पुत्र गंगाधर सिदार से उनका कथन लिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिता लच्छी राम सिदार का देहांत 25.09.2022 दिन रविवार के हो गया है। तत्पश्चात् उनके अथवा किसी भी परिजन के द्वारा राशन उठाव नहीं किया गया है। अब उन्हें पता चला कि है लच्छी राम के राशनकार्ड में विक्रेता दिनेश डनसेना के भाई (चचेरे) दुर्गेश डनसेना जो कि दुकान संचालनकर्ता समूह शारदा महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष गुलापी डनसेना के पुत्र है के द्वारा नॉमिनी के तौर पर लच्छी राम के कार्ड का राशन का उठाव कर रहे है। उनके पिता लच्छी राम के राशनकार्ड को निरस्त एवं अनुचित तरीके से उठाव किये गये खाद्यान्न की राशि की रिकवरी किये जाने एवं विक्रेता दिनेश डनसेना के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मांग किया गया।

ज्ञातव्य है कि दुर्गेश डनसेना, विक्रेता दिनेश डनसेना के चचेरे भाई है तथा दुकान में दिनेश डनसेना के साथ –साथ विक्रेता के रूप में करते है। इस प्रकार लच्छी राम की मृत्यु दिनांक 25.09.2022 पश्चात् अनुचित तरीके माह जनवरी 2024 से दिसम्बर 2025 तक की कुल चावल 6.65 क्विं. शक्कर 0.15 क्विं. एवं नमक 0.14 क्विं. का उठाव किया गया है जो कि उनसे भू–राजस्व की भॉति वसूली योग्य राशि 28001.51 रू. है।

03. रूपकुवंर के नाम पर विधवा/ परित्यक्ता श्रेणी का जारी अंत्योदय राशनकार्ड क्र. 223868621851 में अनुचित तरीके से राशन उठाव के संबंध में वर्तमान में राशनकार्ड के मुखिया श्रीमती सुषमा जायसवाल पति दीपक जायसवाल उम्र 29 वर्ष से उनका कथन दर्ज किया गया जिसमें सुषमा द्वारा बताया गया कि उक्त अंत्योदय राशनकार्ड उनके अर्थात सुषमा के नाम से 19 जनवरी 2025 से जारी है। पूर्व में उक्त राशनकार्ड उनकी दादी सास रूपकुवंर डनसेना के नाम पर जारी था जिसकी मृत्यु जगभग 02 वर्ष पूर्व हो चुकी है। उनको नाम राशनकार्ड में मुखिया दर्ज होने के पूर्व उनके चाचा ससुर रूपकुवंर के राशनकार्ड में उनका (रूपकुवंर) आधार बायोमेट्रिक निशान नहीं आने के कारण नॉमिनी के रूप में राशन का उठाव करते थे।

ज्ञातव्य है कि सुषमा के पति जीवित है एवं रूपकुवंर के नाम पर जारी अंत्योदय राशनकार्ड जिसकी पात्रता का आधार परिवार के मुखिया विधवा अथवा परित्यक्ता की क्षेणी मे दर्ज राशनकार्ड में स्वयं को मुखिया दर्ज करते हुए अनुचित तरीके से माह जनवरी 2025 से अब तक राशन उठाव किया जा रहा है। सुषमा के कथनानुसार रूपकुवंर की मृत्यु 02 वर्ष पूर्व हो चुकी है अतः वर्ष 2024 में अभिमन्यु के द्वारा मृत रूपकुवंर के नॉमिनी के रूप में एक वर्ष तक रूपकुवंर के राशनकार्ड में राशन का फर्जी तरीके से उठाव विक्रेता दिनेश डनसेना की मिलीभगत से किया गया है। इस प्रकार अभिमन्यु के विरूद्ध जनवरी 2024 से सितम्बर 2024 तक उठाव किये गये चावल 2.80 क्विं. शक्कर 0.08 क्विं. एवं नमक 0.08 क्विं. का राशि 11886.03 रू. वसूली योग्य है।

इसी प्रकार सुषमा के द्वारा उनके कार्ड में जनवरी 2025 से नवम्बर–दिसम्बर 2025 तक उठाव किये गये राशन चावल 4.20 क्विं. शक्कर 0.12 क्विं. एवं नमक 0.12 क्विं. का राशि 17792.72 रू. RRC वसूली योग्य है। सुषमा जायसवाल उम्र 29 वर्ष के पति दीपक जायसवाल के जीवित होने के बावजूद सुषमा के द्वारा स्व. रूपकुवंर के विधवा/परित्यक्ता श्रेणी के राशनकार्ड स्वयं को मुखिया दर्ज कराके राशन उठाव किया गया एवं साक्ष्य छुपाने के उददेश्य से अपने राशनकार्ड में पति दीपक का नाम नहीं जुडवाया गया क्योंकि उक्त राशनकार्ड में पूर्व से ही 35 कि. ग्रा. चावल का आबंटन प्राप्त हो रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

सुषमा के नाम पर राशन कार्ड मुखिया अपडेट होने के उपरांत भी अभिमन्यु के द्वारा जो कि पूर्व से ही नॉमिनी के रूप में दर्ज थे के द्वारा सुषमा के कार्ड से भी राशन उठाव किया गया है जो कि दिनेश डनसेना से साठ गांठ करके राशन उठाव करने को प्रमाणित करता है। इस प्रकार सुषमा के पर जारी उक्त अंत्योदय राशनकार्ड को विलोपित किये जाने एवं उठाव किये गये खाद्यान्न सामग्री को वसूली किये जाने योग्य है तथा कुट रचित तरीके से राशनकार्ड को मुखिया संशोधन करने के फलस्वरूप वैधानिक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा किया जाता है।

(4) राधेश्याम डनसेना के राशनकार्ड क्र. 223868455998 में अनुचित तरीके से राशन उठाव के संबंध में राधेश्याम के पुत्र नेहरू डनसेना (उम्र 62) से पूछताछ कर कथन दर्ज किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि पिता राधेश्याम डनसेना की मृत्यु दिनांक 01.02.2023 को ही चुका है। तडुपरांत राधेश्याम के राशनकार्ड में परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा राशन उठाव नहीं किया गया है । अब उन्हें ज्ञात हो रहा है कि उक्त राशनकार्ड में राकेश उनसेना पोता के रूप में सदस्य के तौर पर दर्ज है जो कि विक्रेता दिनेश डनसेना का भाई एवं उनकी मृत्यु उपरांत वह फर्जी तरीके सं राशन का उठाव कर रहा है। राकेश डनसेना उचित मूल्य दुकान संचालक गुलाबी डनसेना का बडा पुत्र है तथा छोटा पुत्र दुर्गेश एवं दिनेश के द्वारा विगत 20 वर्षो से महिला समूह के नाम पर बेनामी रूप से निजी तौर पर शा0उ0मू0दुकान का संचालन अनुचित तरीके से कर रहे है। उन्होंने यह भी बताया कि राकेश डनसेना का राधेश्याम से काई रक्त संबंध नहीं है।

अतः राकेश डनसेना के द्वारा मृत राधेश्याम डनसेना के राशनकार्ड से सदस्य के तौर पर फर्जी तरीके से मार्च 2023 पश्चात् उठाव गये राशन चावल 0.70 क्विं. शक्कर 0.02 क्विं. एवं नमक 0.02 क्विं. का राशि 2971.49 रू. RRC वसूली किया जाना प्रस्तावित है।

05. स्व. बिन्दुमती पटेल के राशनकार्ड क्र. 223869564643 में फर्जी तरीके से राशन आहरण करने के संबंध में वर्तमान मुखिया शशिकला पटेल का कथन दर्ज किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उक्त राशनकार्ड 08 मई 2025 से जारी है जिस पर मेरे द्वारा माह जुलाई 2025 से 35 कि.ग्रा. चावल, 1 कि.ग्रा. शक्कर एवं 1 कि.ग्रा. नमक प्रतिमाह उठाव किया जा रहा है। मेरे घर में पति रामरतन पटेल, पुत्र नरेश पटेल एवं गुणवंत पटेल हैं जिनका नाम राशनकार्ड में छूट गया है।

उक्त के संबंध में बिन्दुमती के पुत्र विद्याधर पटेल का कथन भी दर्ज किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मेरी मॉ का देहांत दिनांक 10.04.2022 को हो गया है जिसके पश्चात् उक्त राशनकार्ड को विक्रेता दिनेश जायसवाल के द्वारा अपने पास रख लिया गया तथा मांगने पर भी आज दूगा–कल दूगा कहकर बोलता था। जॉच दिनांक को जॉच अधिकारी से पता चला कि मेरी मॉ का राशनकार्ड शशीकला/रामरतन पटेल के नाम पर जारी है। यह कि शशीकला से हमारे रक्त संबंध नहीं है एवं हमारे द्वारा उनके नाम पर मुखिया संशोधन नहीं कराया गया है। मुखिया संशोधन का कार्य दिनेश डनसेना (विक्रेता) के द्वारा कराया गया है। उन्होंने आगे बताया कि शशीकला के नाम पर मुखिया संशोधन के पूर्व विक्रेता दिनेश डनसेना द्वारा अपने तौलक लोकनाथ यादव को नॉमिनी बनाकर उनकी मॉ बिन्दुमती के देहांत दिनांक 10.04.2022 के पश्चात मई 2025 में शशीकला के नाम पर मुखिया संशोधन होने के बावजूद नॉमिनी एवं तौलक लोकनाथ यादव के माध्यम से अगस्त 2025 तक दिनेश डनसेना के द्वारा फर्जी तरीके से राशन का उठाव किया गया है। ऑलानईन अवलोकन करने पर लोकनाथ यादव के द्वारा नॉमिनी बनकर माह जून 2024 से अगस्त 2025 तक चावल 3.85 क्विं. शक्कर 0.11 क्विं. एवं नमक 0.11 क्विं. का राशि 16343.21 रू. RRC वसूली योग्य है।

06. शिकायतकर्ता खितीभूषन का कथन दर्ज किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया कि दिनेश कुमार डनसेना विक्रेता एवं उपसरपंच के द्वारा गंभीर अनियमितता बरते हुए मृत व्यक्यिों के नाम से अपने पद एवं उच्चा अधिकारियों से अच्छे संबंध का दुरूपयोग करते हुए मृत व्यक्तियों के राशनकार्डो में अपने परिवारजनों उचित मूल्य दुकान के तौलक आदि का नाम जुडवाकर अथवा नॉमिनी के रूप में दर्ज कराकर फर्जी तरीके से राशन का आहरण करते आ रहा है। शिकायत के समर्थन में उनके द्वारा बताया गया कि

6.1 223867410281 लच्छीराम सिदार (मृत) के राशनकार्ड में दुर्गेश डनसेना (शारदा महिला स्व. सहायता समूह की अध्यक्ष का पुत्र एवं विक्रेता दिनेश कुमार डनसेना का भतीजा) का नाम

Scanned with OKEN Scanner

जोड़ा गया हैं। जबकि लच्छीराम सिदार ग्राम–कारीगांठी अनुसूचित जन जाति वर्ग से आता हैं। लेकिन दुर्गेश डनसेना अन्य पिछड़ा वर्ग से आता है एवं गाम–मारोदरहा का निवासी हैं।

6.2 223862021310 दहरमति सिदार (मृत) के राशनकार्ड में दिनेश कुमार डनसेना एवं उनकी पत्नी अंजू डनसेना का नाम जोड़ा गया हैं। जबकि दहरमति सिदार ग्राम खोखेपुर अनुसूचित जनजाति वर्ग से आता है। लेकिन दिनेश कुमार डनसेना एवं अंजू डनसेना अन्य पिछड़ा वर्ग से आता हैं एवं ग्राम–मारोदरहा का निवासी हैं।

6.3 223868621851 रूपकुंवर डनसेना (मृत) के राशनकार्ड में सुषमा जायसवाल (विक्रेता दिनेश कुमार डनसेना के भाई की पत्नी) का नाम जोड़ा गया है। तत्पश्चात विधवा/परित्यक्ता महिला के राशनकार्ड में सुषमा के पति एवं बच्चों का नाम जानबूझकर नहीं जुडवाया गया है।

6.4 223868455998 राधेश्याम डनसेना (मृत) के राशनकार्ड में राकेश कुमार डनसेना शारदा महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष का पुत्र एवं विक्रेता दिनेश कुमार डनसेना का नाम जोड़ा गया है।

6.5 223869564643 बिन्दुमती पटेल (मृत) के राशनकार्ड में अपने तौलक लोकनाथ यादव को नॉमिनी बनाकर फर्जी तरीके से राशन उठाव किया गया है। तत्पश्चात विधवा/परित्यक्ता महिला के राशनकार्ड में शशीकला पटेल के पति एवं बच्चों का नाम जानबूझकर नहीं जुडवाया गया है।

शारदा महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष एवं विक्रेता दिनेश कुमार डनसेना द्वारा एक ही परिवार में चार (मृत) राशनकार्ड से आबंटन लिया जा रहा है।

07. विकेता दिनेश डनसेना ने अपने कथन बताया गया कि शा0उ0मू0दुकान मारोदरहा शिकायतकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत शिकायत में जिन 05 राशनकार्ड में मेरे द्वारा अनाधिकृत रूप से सदस्य/नॉमिनी जोडकर गलत तरीके से राशन उठाव मेरे द्वारा किये जाने का आरोप लगाया गया है उन राशनकार्डो में उनके परिजनों के द्वारा राशन उठाव किया गया है। उनका राशन उनके परिवार के लोग ही ले रहे है। अतः यह कहना सही नही है कि मैं गलत तरीके से राशन उठाव कर रहा हूँ। उक्त शिकायत राजनैतिक देश के कारण किया गया है।

विकेता दिनेश डनसेना की पत्नी अंजु डनसेना के नाम पर जारी अंत्योदय राशनकार्ड क. 223862021310, पूर्व में डहरमती सिदार पति राजकुमार सिदार के नाम पर जारी था जिसमें दिनेश डनसेना के द्वारा पहले अपनी पत्नी अंजु डनसेना का नाम सदस्य के रूप में नाम दर्ज कराया गया फिर मुखिया संशोधन कराकर अंजु डनसेना को मुखिया दर्ज करा दिया अपना एवं अपने पुत्र नमन डनसेना का नाम दर्ज करा कर राशन का उठाव किया जा रहा है। जिसके संबंध में पूर्व में 18.10. 2025 को तत्कालीन सहायक खाद्य अधिकारी बरमकेला के समक्ष दर्ज अपने कथन में उनके द्वारा कहा गया था कि उन्होंने नवीन राशनकार्ड हेतु आवेदन पत्र जिला खाद्य कार्यालय में जमा किया गया था एवं डहरमती सिदार के राशनकार्ड में नाम दर्ज करने एवं राशन उठाव करने के संबंध में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अतः स्पष्ट है कि उनके द्वारा कुट रचित तरीके के डहरमती सिदार जो कि अनुचित जाति वर्ग से संबद्ध है के राशनकार्ड में जुलाई 2024 से जून 2025 तक चावल 4.90 क्विं., शक्कर 0.15 क्विं. एवं नमक 0.14 क्विं. का अनुचित तरीके से उठाव किया गया तत्पश्चात् सितम्बर,अक्टूबर एवं नवम्बर तक कुल चावल 5.95 क्विं., शक्कर 0.17 क्विं. एवं नमक 0.17 क्विं. का राशि 25257.68 रू. RRC वसूली योग्य है।

इस प्रकार जॉच में उक्त शिकायत सही पाई गई एवं मृत लच्छीराम सिदार के राशनकार्ड में विकेता दिनेश डनसेना के चचेरे भाई दुर्गेश डनसेना, डहरमती सिदार के राशनकार्ड में दिनेश डनसेना की पत्नी एवं स्वयं तथा पुत्र नमन डनसेना का नाम, रूपकुवंर के राशनकार्ड में अपने सगे भाई दीपक जायसवाल की पत्नी सुषमा जायसवाल, राधेश्याम डनसेना के राशनकार्ड में अपने चचेरे भाई राकेश डनसेना का नाम दर्ज कराकर राशन का आहरण किया जाना पाया गया इसी प्रकार बिन्दुमती पटेल के राशनकार्ड में अपने उचित मूल्य दुकान के तौलक लोकनाथ यादव का नाम नॉमिनी के रूप दर्ज कराकर मृत लोगो का राशन आहरण किया जाना पाया गया।

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार फर्जी तरीके से उठाव किये गये कुल खाद्यान्न सामग्री जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क	मृत व्यक्तियों का नाम	राशनकार्ड क.	किसके नाम पर राशन उठाव किया गया	दिनेश डनसेना से संबंध	चावल	शक्कर	नमक	वसूली योग्य राशि
1	लच्छी राम	223867410281	दुर्गेश डनसेना	चचेरा भाई	6.65	0.15	0.14	₹ 28,001.50
2	रूपकुवंर	223868621851	अभिमन्यु	नॉमिनी	2.8	0.08	0.08	₹ 11,885.97
3	रूपकुवंर	223868621851	सुषमा	भाई दीपक की पत्नी	4.2	0.12	0.12	₹ 17,828.95
4	राधेश्याम डनसेना	223868455998	राकेश डनसेना	चचेरा भाई	0.7	0.02	0.02	₹ 2,971.49
5	बिन्दुमती	223869564643	लोकनाथ यादव	तौलक उचित मूल्य दुकान मारोदरहा	3.85	0.11	0.11	₹ 16,343.21
6	डहरमती सिदार	223862021310	दिनेश डनसेना	स्वयं	5.95	0.17	0.17	₹ 25,257.68
वसूली योग्य राशि–								₹ 1,02,288.80

कुल **राशि 1,02,288.80 रू. (अक्षरी एक लाख दो हजार दो सौ अठासी रूपये अस्सी पैसे मात्र**) विक्रेता दिनेश डनसेना से वसूली योग्य है।

इसी प्रकार शा0 उचित मूल्य दुकान मारोदरहा के भौतिक सत्यापन में प्राप्त कमी चावल 24.31 क्विं., तथा शक्कर 2.11 क्विं. तथा जून 2024 से सितम्बर 2025 तक शारदा महिला स्व सहायता समूह मारोदरहा के द्वारा संलग्नीकरण के तहत संचालित किये शा0 उचित मूल्य दुकान गोबरसिंघा आईडी क. 412004021 के आवश्यक वस्तु के स्टॉक में अपयोजित खाद्यान्न की मात्रा चावल 159.45 क्विं. एवं शक्कर 1.50 क्विं. कुल चावल 183.76 क्विं. एवं शक्कर 3.61 क्विं. का इकॉनामिक कास्ट की दर से **राशि 7,67,411.08 रू. है। इस प्रकार दिनेश डनसेना से कुल राशि 8,69,699.88 रू. (अक्षरी आठ लाख उहत्तर हजार छः सौ निन्यानबे रूपये आठासी पैसे मात्र) वसूली योग्य है।**

कूट रचित तरीके से राशनकार्डो में सदस्य जोडवाने अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिला के राशनकार्ड में पत्नी अंजू डनसेना अन्य पिछडा वर्ग को सदस्य एवं बाद में मुखिया दर्ज कराना, मृत राशनकार्डधारियों के कार्ड में नॉमिनी के माध्यम से राशन आहरण करने के फलस्वरूप राशनकार्ड नियम 2016 के कंडिका 15 तथा का स्पष्ट उल्लघंन एवं आवश्क वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है।

अतः उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम मारोदरहा आई.डी.कमांक– 412004020 के संचालक शारदा महिला स्व सहायता समूह मारोदरहा के अध्यक्ष सह संचालक श्रीमती गुलापी डनसेना, सचिव श्रीमती श्याम बाई डनसेना तथा विक्रेता दिनेश डनसेना के विरूद्ध प्राप्त शिकायत सही पायी गई एवं उनका कृत्य कि छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 की कंडिका 5(1)(26)(27), 9(18), 11(1)(2)(4)(5)(11) 15, 16(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)1 का स्पष्ट उल्लघंन एवं आवश्क वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत ।

संलग्नः–

01. पंचनामा मूल तीन पर्ण दिनांक 13.12.2025 ।
02. विद्याधर पटेल, गंगाधर पटेल, नेहरूलाल डनसेना का कथन।
03. खितीभूषण पटेल का कथन।
04. पंचनामा मूल पर्ण 14.12.2025 ।
05. विक्रेता दिनेश डनसेना का कथन।
06. सुषमा जायसवाल का कथन।
07. शशीकला पटेल का कथन।
08. पंचनामा दिनांक 17.10.2025 की छायाप्रति (उचित मूल्य दुकान गोबरसिंघा का प्रभार हस्तांतरण के संबंध में)।
09. अन्य संलग्न सह पत्र 01 से लेकर 26 पर्ण।

22.12.25

सहायक खाद्य अधिकारी,
बरमकेला

Scanned with OKEN Scanner